

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.1(12)एमई/ग्रुप-1/96

जयपुर, दिनांक

आदेश

14 FEB 2014

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित चिकित्सकों को वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे 5400/-) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रुल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रुपये 16800/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक एवं पता	मेरिट नं.	श्रेणी	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ मुक्ता मील, किसान कॉलोनी नवलगढ रोड, सीकर राजस्थान	मेरिट नं.21	ओबीसी महिला	06.09.85	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर
2.	डॉ मधु महला, ग्राम-गोरधनपुरा वाया-पलसाना त. दांतारामगढ, जिला-सीकर राज	मेरिट नं.23	ओबीसी महिला	25.05.85	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
3.	डॉ रिंतू सेहरा वी.पी.ओ. देव रोड त. चीरावा जिला- झुन्झुनू।	मेरिट नं.26	अजजा महिला	25.08.86	मेडिकल कॉलेज, कोटा

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी। यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/ क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है। इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।

आज्ञा से,

14/2/14

(कैलाश चंद्र राव)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(61)भर्ती/गोपनीय/2008-09/ 669 दिनांक 04.03.2013 के क्रम में।
4. प्रधानाचार्य एवं निबंधक, मेडिकल कालेज, अजमेर।
5. संबंधित चिकित्सकों को (रजिस्टर्ड डाक से)।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(धन्ना लाल)

14/2/14